

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 अप्रैल 2010—चैत्र 29, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्र. 2518-155-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15 अप्रैल 2010 को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् २०१०.

महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम , २०१०.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. प्रोद्धारण का संशोधन.
३. वृहद् शीर्षक का संशोधन.
४. धारा १ का संशोधन.
५. धारा २ का संशोधन.
६. धारा ३ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् २०१०.

महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम , २०१०.

[दिनांक १५ अप्रैल, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १९ अप्रैल, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ को संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.
- प्रोद्धारण का संशोधन. २. महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ (क्रमांक १५ सन् २००८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रोद्धारण में, शब्द "संस्कृत" के पश्चात्, शब्द "एवम् वैदिक" अंतःस्थापित किए जाएं.
- वृहद् शीर्षक का संशोधन. ३. मूल अधिनियम के वृहद् शीर्षक में, शब्द "संस्कृत" के पश्चात्, शब्द "एवम् वैदिक" अंतःस्थापित किए जाएं.
- धारा १ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा १ में, शब्द "संस्कृत" के पश्चात्, शब्द "एवम् वैदिक" अंतःस्थापित किए जाएं.
- धारा २ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (ज) में, शब्द "संस्कृत" के पश्चात्, शब्द "एवम् वैदिक" अंतःस्थापित किए जाएं.
- धारा ३ का संशोधन. ६. मूल अधिनियम की धारा ३ में,—
- (एक) पार्श्व शीर्ष में, "संस्कृत" के पश्चात्, शब्द "एवम् वैदिक" अंतःस्थापित किए जाएं;
- (दो) उपधारा (१) में, शब्द "संस्कृत" के पश्चात्, शब्द "एवम् वैदिक" अंतःस्थापित किए जाएं;

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्र. 2519-155-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 14 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 14 OF 2010.

MAHARSHI PANINI SANSKRIT VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2010.

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of citation.
3. Amendment of long title.
4. Amendment of Section 1.
5. Amendment of Section 2.
6. Amendment of Section 3.

MADHYA PRADESH ACT
No. 14 OF 2010.

MAHARSHI PANINI SANSKRIT VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2010.

[Received the assent of the Governor on the 15th April, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 19th April, 2010.]

An Act to amend Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2006.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010. Short title.
2. In the citation of the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2006 (No. 15 of 2008) (hereinafter referred to as the principal Act), after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted. Amendment of citation.
3. In the long title of the Principal Act, after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted. Amendment of long title.
4. In Section 1 of the Principal Act, after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted. Amendment of Section 1.
5. In Section 2 of the Principal Act, in clause (h), after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted. Amendment of Section 2.
6. In Section 3 of the principal Act,— Amendment of Section 3.
 - (i) in the marginal heading, after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted;
 - (ii) In sub-section (1), after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted.